(65)

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय मान०राजस्व मण्डल,म०प्र०ग्वालियर

प्र.क. एक–निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/ 6197

हरीराम पुत्र जूजू अहिरवार
ग्राम आलमपुरा पोस्ट हीरानगर
तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा
कलेक्टर जिला टीकमगढ़ ---अनावेदक

श्री जी.पी.नायक द्वारा आज दि. 19-12-17 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-1-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. 19/12-17

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 – श्रीमान तहसीलदार टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 29 अ--6--अ/2017–18 में पारित आदेश दि0 6–12–2017 के विरूद्ध)

महोदय,

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

यह कि आवेदक ग्राम आलमपुरा का निवासी है एंव खेतीहर मजदूर होकर भूमिहीन था। आवेदक के पिता का ग्राम आलमपुरा की भूमि सर्वे नंबर 308/1 रकबा 1–214 हैक्टर पर वर्ष 1982–83 के पूर्व से कब्जा रहा है पिता के वाद आवेदक का निरन्तर कब्जा होकर खेती करते आ रहा है जिसके आधार पर श्रीमान तहसीलदार टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 185 अ–19/1997–98 में पारित आदेश दिनॉक 10–11–98 से म0प्र0 कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत ग्राम आलमपुरा की भूमि सर्वे नंबर 308/1 रकबा 1–214 हैक्टर का पटटा प्रदान किया गया, जिसका अमल ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 24 पर आदेश दिनांक 10–11–98 से हुआ है, उसके वाद खसरो में भी आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में निरन्तर दर्ज चला आया।

G.P. Nayek Adv. 19.12.17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/6197 हरीराम विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 29/अ-6अ/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 06-12-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 19-12-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

11.02.19

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

11.02.19

(आर.के. जैन)
सदस्य